भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पचम तल, सेक्टर–एच, अलीगज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 38 / 2015 / एफ.सी. 1002

दिनॉक: 19/11/15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त,
अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 किमी0 489 से 493 तक मड़ियाव से नवीन गल्ला मण्डी तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 1.11 हे0 संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं 63 बाधक वृक्षों के पातन के लिए अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 1004 / 11सी–UP/11308/2015, दिनांक– 04.11.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 660 / 11सी–11308 / 2015, दिनांक– 21.09.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.10.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है केन्द्र सरकार जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 किमी0 489 से 493 तक मड़ियाव से नवीन गल्ला मण्डी तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1.11 हे0 संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं 63 बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 2.22 हेक्टेयर पर (1.11x2=2.22 ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक / आर0टी0जी0एस0 / एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

19/11/15

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर आई0आर0सी0 (IRC) के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाए। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव(वन),वन अनुभाग, 6वां तल,बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ उ0 प्र0।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

19/11/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)